न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 79/2020

वादीगण –

1. किशनाराम पुत्र आशाराम
2. भंवरलाल पुत्र आशाराम
3. हणुताराम पुत्र आशाराम
4. अर्जुनराम पुत्र भागीरथराम
5. सहदेवराम पुत्र भागीरथराम
6. हरीराम पुत्र भागीरथराम
7. मेकूदेवी पत्नी भागीरथराम
   जातियान–जाट निवासीगण–रूपाथल, तहसील जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आईदानराम दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाईन्दा पुत्र आशाराम
2. तुलछीदेवी पुत्री आशाराम
3. शान्तिदेवी पुत्री आशाराम जातियान–जाट, निवासी–रूपाथल
   तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 01/03/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वर्गीय आशाराम जी के वारिसान है तथा इनकी पुश्तैनी बडेर की भूमि ग्राम रूपाथल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 365, 439, 451, 496/745, 582, 601, 623 के रूप में मे स्थित है। मुतदाविया

01/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा स्कीम पैरा संख्या 2 (क से घ) माफिक नजरी नक्शानुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है तथा सींवे कायम कर ली। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 07.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम रूपाथल तहसील जायल सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 13/11 प्रदर्श–1 नकल गिरदावरी सम्वत् 2073–2076, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र रूकमा प्रदर्श–3 पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा राजीनामें में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेतायों को

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत राजीनामें व नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकत है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 क्रमशः आईदानराम, तुलछीदेवी व शान्ति ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काविज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 365 व 582 की भूमि माफिक नजरी नक्शानुसार बंट चाहा है तथा शेष खसरा नं. 439, 451, 496/745, 601, 623 की में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन पक्षकारान के मध्य माफिक राजीनामा होना वादपत्र में अवगत कराया है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खेतायो में खसरा नं. 365 व 582 का हिस्सा विशेष का बंटवारा तथा खसरा नं. 439, 451, 496/745, 601, 623 की में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का पूर्णरूपेण बंटवाड़ा पक्षकारान (वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3) द्वारा चाहा गया था है। इसलिए वादी का अन्तिम डिक्री नहीं किया जाकर प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 21.10.2021 किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 01.03.2021 को प्राप्त हुआ।

तहसीलदार जायल ने आदेश की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/710 दिनांक 10.02.2021 के प्राप्त हुआ जो दिनांक 23.02.2021 पत्रावली में सामिल किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर वकुलाय को सुना गया है जिन्होने बंटवारा सही होना जाहिर किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान् को नोटिस जारी कर मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किया गया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

है, जिसकी पुष्टि उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर वादी किशनाराम, भंवरलाल, हणुताराम, सहदेवराम, हरिराम तथा प्रतिवादी नं. 1 आईदानराम के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान से होती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.) एवं दिशा	लगान
1	वादी–1 किशनाराम पुत्र आशाराम	601 365	2.4929 0.4249 (उतरी–पूर्वी)	7.64 2.49
2	वादी–2 भवंरलाल पुत्र आशाराम	439 496/745 365 623	1.8777 0.0405 0.4249 (दक्षिण–पश्चिम) 0.6213 (दक्षिणी)	8.11 – 2.49 1.92
3	वादी–3 हणुताराम पुत्र आशाराम	582 365 623	1.7321 0.4249 (उतरी–पश्चिमी) 0.6413 (दक्षिणी)	5.33 2.49 1.98
4	वादी नं. 4 से 7 अर्जुनराम, सहदेवराम, हरीराम, मेकूदेवी	451 365 623	2.2015 0.4250 (दक्षिणी पूर्वी) 0.3156 (उतरी भाग)	9.51 2.49 1.98
5	रास्ता हेतु –	623	0.0244नजरी नक्शा	

निर्णय आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 79/2020

वादीगण –

1. किशनाराम पुत्र आशाराम
2. भंवरलाल पुत्र आशाराम
3. हणुताराम पुत्र आशाराम
4. अर्जुनराम पुत्र भागीरथराम
5. सहदेवराम पुत्र भागीरथराम
6. हरीराम पुत्र भागीरथराम
7. मेकूदेवी पत्नी भागीरथराम जातियान–जाट निवासीगण–रूपाथल, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आईदानराम दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाईन्दा पुत्र आशाराम
2. तुलछीदेवी पुत्री आशाराम
3. शान्तिदेवी पुत्री आशाराम जातियान–जाट, निवासी–रूपाथल तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री बस्तीराम ढाका प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.) एवं दिशा	लगान
1	वादी–1 किशनाराम पुत्र आशाराम	601 365	2.4929 0.4249 (उतरी–पूर्वी)	7.64 2.49
2	वादी–2 भवंरलाल पुत्र आशाराम	439 496/745 365 623	1.8777 0.0405 0.4249 (दक्षिण–पश्चिम) 0.6213 (दक्षिणी)	8.11 – 2.49 1.92

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (मुहर)

01/03/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

3	वादी–3 हणुताराम पुत्र आशाराम	582 365 623	1.7321 0.4249 (उतरी–पश्चिमी) 0.6413 (दक्षिणी)	5.33 2.49 1.98
4	वादी नं. 4 से 7 अर्जुनराम, सहदेवराम, हरीराम, मेकूदेवी	451 365 623	2.2015 0.4250 (दक्षिणी पूर्वी) 0.3156 (उतरी भाग)	9.51 2.49 1.98
5	रास्ता हेतु –	623	0.0244 नजरी नक्शुसार	–

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 10.02.2021 डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

01/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/03/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

01/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

×××

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/110 दिनांक 10-2-2021

Kwf

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जायल

01/3/2021

विषय :- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक/रीडर/कोर्ट/2020/1101 दिनांक 23-x-2020 के संबंध में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि आपके न्यायालय के राजस्व वाद सं. 79/2020 नि०दि० 21-x-2020 किशनाराम बनाम आईदानराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री एवं आपके आदेश पत्रांक 1101 दिनांक 23-x-2020 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर लिया गया है जो इस पत्र के संलग्न दो प्रतियों में भेजा जा रहा है,

अतः आपके न्यायालय की प्राथमिक डिक्री राजस्व वाद सं. 79/2020 नि.दि. 21-x-2020 की पालना सेवा सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

संलग्न :- बंटवारा प्रस्ताव
दो प्रतियों में

Scanned with CamScanner

फर्द मौका व बंटवारा प्रस्ताव

आज दिनांक 5/02/2021 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [न्यायालय सहायक - कलक्टर] जायल के आदेश क्रमांक : रीडर/कोर्ट/2020/1101 दिनांक 23-10-2020 एवं तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक /रा.अ./प्राथमिक डिक्री/2020/3253 दिनांक 28-10-20 की पालना में ग्राम रूपाथल के खसरा नम्बर 365, 439, 451, 496/745, 582, 601, 623 के मौके पर हमराह हल्का पटवारी रूपाथल के पहुंचा। वादी व प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया था। मौके पर वादी सं. 1 to 3, 5, 6 व 7 प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित है। वादी सं. 4 अर्जुनराम ग्राम-डोलिया प्रतिवादी तुलछी देवी ग्राम नराधना व शान्ति देवी ग्राम ईनाणा में निवास करते हैं।

उपरोक्त की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया —

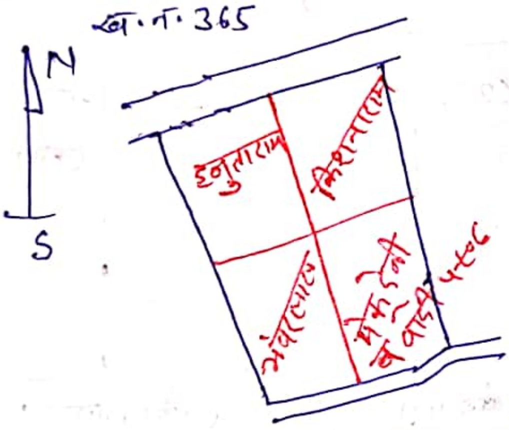

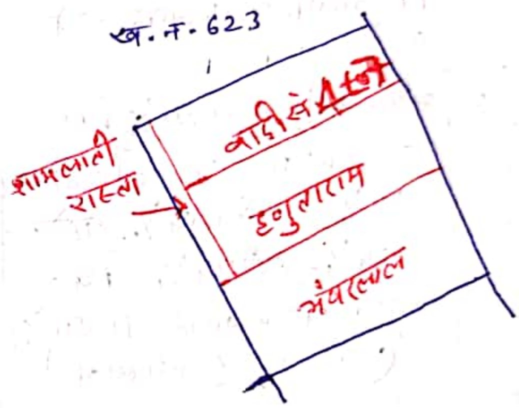

① अं.नि. किशनाराम

③ अं.नि. हनुमानराम

ILR-रूपाथल 05/02/2021

अं.नि. मेमुदेवी

अं.नि. आईदानराम प्रतिवादी

② मंगलाल

⑤ रामदेवराम

⑥ हरिराम

पटवारी रूपाथल
5/2/2021

Scanned with CamScanner

मौके पर उपरोक्त नजरी नक्शानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है जिसका क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा न.	रकबा हैक्टर	लगान	दिशा
1.	किशनाराम S/ आशाराम जाति जाट सा. देह	601 365	2.4929 0.4249 2.9178	7.64 2.49	उत्तरी पूर्वी भाग
2.	भंवरलाल S/ आशाराम जाति जाट सा. देह	439 496/745 365 623	1.8777 0.0405 0.4249 0.6213 2.9649	8.11 — 2.49 1.92	दक्षिणी पश्चिमी भाग दक्षिणी भाग
3.	हनुताराम S/ आशाराम जाति जाट सा. देह	582 365 623	1.7321 0.4249 0.6413 2.7983	5.33 2.49 1.98	उत्तरी पश्चिमी भाग मध्य भाग
4.	मेकू देवी पत्नी भागीरथराम अर्जुनराम सहदेवराम हरीराम पि. भागीरथराम जाति जाट सा. देह व. हि. व.	451 365 623	2.2015 0.4250 0.3156 2.9421	9.51 2.49 0.97	दक्षिणी पूर्वी भाग उत्तरी भाग
5.	भंवरलाल 1/3 हनुताराम 1/3 पि. आशाराम मेकू देवी पत्नी भागीरथराम 1/12 अर्जुनराम 1/12 सहदेवराम 1/12 हरीराम 1/12 पि. भागीरथराम जाति जाट सा. देह (रास्ता हेतु शामलाती)	623	0.0244	—	नजरी नक्शानुसार (शामलाती रास्ता हेतु)

उपरोक्त तालिका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। उपस्थित वादीगण तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत है।

फर्द मौका व बंटवारा प्रस्ताव उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनाया गया जिससे सहमत व सही होना स्वीकार किया।

C-S
01/03/2021

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

अ.नि. किशनाराम — भंवर लाल

ILR-टांगला
5/02/2021

अ.नि. मेकूदेवी — सहदेवराम

हरीराम

अ.नि. हनुताराम

अ.नि. अर्जुनराम — पटवारी राजस्व
9/02/2021
N.F. Jayal